न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे

निगरानी प्र0 क0 2023–तीन/2013 विरूध्द आदेश दिनांक 06–05–2013 पारित कलेक्टर, टीकमगढ़ प्रकरण कमांक 147/बी–121/12–13.

1– मीरा तिवारी पत्नि राजेन्द्र तिवारी
2– रामप्यारी तिवारी पत्नि दुर्गाप्रसाद तिवारी
दोनों निवासी ताल दरवाजा, टीकमगढ़
म0प्र0

---- आवेदकगण

विरूध्द

म0प्र0 शासन व्दारा कलेक्टर,
टीकमगढ़, म0प्र0

--- अनावेदक

श्री के0के0 व्दिवेदी, अभिभाषक – आवेदकगण
श्री एच0के0 अग्रवाल, पैनल अभिभाषक– अनावेदक शासन

आदेश

(आज दिनांक 14.7. 2014 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत कलेक्टर, टीकमगढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 147/बी–121/12–13 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 06–05–2013 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री यादवेन्द्रसिंह, विधायक, विधान सभा क्षेत्र ने इस आशय का आवेदनपत्र कलेक्टर, टीकमगढ़ के समक्ष प्रस्तुत

किया कि आवेदकगण मीरा तिवारी व रामप्यारी तिवारी व्दारा गलत तथ्य प्रस्तुत कर पात्रता नहीं होने पर भी भू–अधिकार पट्टा प्राप्त किया गया है और उसका अवैध रूप से विनिमय कराया है। कलेक्टर ने प्रकरण पंजीबध्द कर अनावेदक को तलब करने तथा एस डी ओ टीकमगढ़ से रिपोर्ट मॅगाने के आदेश दिये। कलेक्टर ने आदेश पत्रिका दिनांक 6–5–13 में यह आदेश दिये हैं कि –

1. अदला–बदली के आदेश को क्यों न स्वमेव निगरानी के लिये बोर्ड से परमिशन के लिये लिखा जाय।
2. पट्टे की पात्रता नहीं होने से दिया गया पट्टा क्यों न निरस्त किया जाय।

इन दो बिन्दुओं पर एस डी एम टीकमगढ़ से प्रतिवेदन प्राप्त करें एवं अनावेदक को भी पक्ष रखने का अवसर दया जाय।

उक्त आदेश के असन्तुष्ट होकर आवेदकगण व्दारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की है।

3/ मैंने उभय पक्ष के विव्दान अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदकगण के विव्दान अभिभाषक का तर्क है कि कलेक्टर व्दारा स्वमेव निगरानी की कार्यवाही स्वमेव की जा सकती है। शिकायतकर्त्ता को प्रश्नाधीन भूमि पर कोई स्वत्व प्राप्त नहीं है और ना ही उनका कब्जा है, इस कारण शिकायती आवेदनपत्र के आधार पर कलेक्टर व्दारा प्रकरण पंजीबध्द कर स्वमेव निगरानी की कार्यवाही करने में भूल की है। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4/ अनावेदक शासन के अभिभाषक का तर्क है कि कलेक्टर व्दारा अनुविभागीय अधिकारी से जॉच कर प्रतिवेदन चाहा गया है तथा आवेदकगण को भी अपना पक्ष रखने का अवसर दिये जाने के निर्देश दिये हैं जिसमें कोई

त्रुटि नहीं है। आवेदकगण अपना पक्ष अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। अतः उन्होंने निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया।

5/ कलेक्टर के अभिलेख एवं आदेश पत्रिका से स्पष्ट है कि कलेक्टर ने 2 बिन्दूओं, अदला–बदली के आदेश को क्यों न स्वमेव निगरानी के लिये बोर्ड से परमिशन के लिये लिखा जाय तथा पट्टे की पात्रता नहीं होने से दिया गया पट्टा क्यों न निरस्त किया जाय, पर अनुविभागीय अधिकारी, टीकमगढ़ से प्रतिवेदन चाहा गया है तथा आवेदकगण को भी अपना पक्ष रखने का अवसर दिये जाने के आदेश दिये हैं। विधायक ने विधान सभा नियम 138(1) के अधीन ध्यानाकर्षण सूचना क0 269 के परिपालनार्थ आवेदन कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया है। यादवेन्द्रसिंह विधायक होकर विधान सभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, इस कारण पट्टे एवं विनिमय के संबंध में जॉच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के आदेश अनुविभागीय अधिकारी को देने में कलेक्टर व्दारा कोई त्रुटि नहीं की गयी है। आवेदकगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर अनुविभागीय अधिकारी एवं कलेक्टर के समक्ष उपलब्ध है। ऐसी दशा में निगरानी में हस्तक्षेप करने का पर्याप्त आधार नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आवेदन खारिज किया जाता हैं। कलेक्टर का आदेश दिनांक 06–05–13 यथावत रखा जाता है।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0